अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग– 5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– G-508 / 05–अं0नि0–1429फ0 / 2021 दिनांकः 23-6-2021

विषय– फसली वर्ष 1429 (दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 30.06.2022 तक) में खतौनी पुनरीक्षण एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–31(2) के अनुरूप खतौनी में दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण का कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–आर–1314 / जी–5–3ए / 2015, दिनांक 02.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–31(2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–28 के अनुरूप खतौनी में दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण किये जाने हेतु खतौनी पुनरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

2– उल्लेखनीय है कि फसली वर्ष 1428 दिनांक 30.06.2021 को समाप्त हो रहा है और नया फसली वर्ष 1429 दिनांक 01.07.2021 से आरम्भ हो रहा है, जिसमें विगत वर्ष की भांति प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1 / 6 भाग अर्थात लगभग 18000 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जानी है।

3– फसली वर्ष 1429 में खतौनी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित राजस्व ग्रामों के चयन के लिए राजस्व परिषद की वेबसाइट के अन्तर्गत भूलेख पोर्टल (http://upbhulekh.gov.in/) पर यूजर लॉगिन के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है, जिस पर पुनरीक्षण किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि के बाद सूचना के प्रकाशन हेतु राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार भूलेख पोर्टल पर दर्ज होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची का ही प्रकाशन जिलाधिकारियों द्वारा कराया जाएगा।

अवगत कराना है कि परिषदादेश संख्या–आर–1314 / जी–5–3ए / 2015, दिनांक–02.06.2017, में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप फसली वर्ष 1429 में राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण हेतु निम्नवत समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के जनपदों में कार्य सम्पन्न कराये जाने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया है।

फसली वर्ष 1429——खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम

क0सं0	कार्य गतिविधि	समय सीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों / सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना।	दिनांक 23 जून 2021 से 30 जून 2021 तक।
2	खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र–ख0पु0–2 में तैयार किया जाना।	दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक।

3	लेखपालों द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र– ख0पु0–3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0 सी0 प्रपत्र–8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाना।	दिनांक 01 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक।
4	खातेदार/सहखातेदार के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र– ख0पु0–3 में विवरण अंकित करते हुए यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जाना।	दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक।
5	राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जांच–पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह–समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना।	दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक।
6	खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करना।	दिनांक 01 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2021 तक।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही उपरोक्त प्रकिया एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

5– खतौनी पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण सम्बन्धी कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अपनी देख–रेख एवं नेतृत्व में समयबद्ध रूप में संचालित किया जाएगा तथा मण्डलायुक्तों द्वारा भी इस कार्य की मासिक समीक्षा की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/6/2021

(भीष्म लाल वर्मा)
प्रभारी आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3–प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त परिषदादेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करायें एवं उक्त कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु भूलेख पोर्टल (http://upbhulekh.gov.in/) पर यथावश्यक संशोधन कराने का कष्ट करें।
4–गार्ड फाईल।

(भीष्म लाल वर्मा)
प्रभारी आयुक्त एवं सचिव।